न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 21/2020 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. सत्यवीर पुत्र श्री शीशराम जाति अहीर निवासी हिंगवाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0

——— अपीलान्ट

(बनाम)

1. राजबीर पुत्र शीशराम उम्र करिब 52 साल जाति अहीर निवासी हाल हिंगवाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ——— रेस्पोडेन्ट
2. भवानी पुत्र नरसिंग जाति अहीर निवासी ग्राम थडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
3. सुखपाल पुत्र ज्ञानसिंह
4. सूरत देव पुत्र ज्ञानसिंह
5. बलजीतकौर पुत्री ज्ञानसिंह
6. हरदीप सिंह पुत्र सुनीता कौर
7. सन्दीपसिंह पुत्र सुनीता कौर जाति रायसिक्ख निवासीयान शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
8. रोताश पुत्र रामदेव जाति अहीर निवासी ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
9. रामरती पत्नि राजबीर जाति अहीर
10. बख्तावर सिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति रायसिक्ख निवासीयान शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
11. हजूरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मुरलीवाली तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
12. मोनू पुत्र बलवन्त
13. सतीश पुत्र बलवन्त जाति अहीर निवासीयान ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
14. राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील तिजारा जिला अलवर राज0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

---तरतीवी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी तिजारा
दिनांक–08.05.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश कुमार यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 01 :– श्री कैलाश कुमार निमोरिया

निर्णय **दिनांक– 18.08.2021**

1. यह अपील तहत अदालत द्वारा राजस्व वाद संख्या 215/2017 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2019 के खिलाफ धारा 223 आर0 टी0 एक्ट के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 130 रकबा 25 एयर, 131 रकबा 15 एयर किता 2 रकबा 40 एयर आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 65 एयर, 73 रकबा 20 एयर, 115 रकबा 90 एयर, 37 रकबा 35 एयर, 143 रकबा 66 एयर, 140 रकबा 33 एयर, 136 रकबा 29 एयर वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। परन्तु शामलात में खेती करना मुश्किल हो रहा है। प्रतिवादीगण आये दिन मजाहमत करते है। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 08.05.2019 द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री कर कुर्रे रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये थे, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी सत्यवीर ने यह अपील पेश की है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि तहत अदालत द्वारा अपीलांट के बाला बाला दिनांक 08.05.2019 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 10.07.2019 को तब हुई, जब अपीलांट जमाबन्दी की नकल लेने पटवारी के पास गया। इसके बाद अपीलांट ने तहत अदालत में दिनांक 15.07.2019 को रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी बीच वादी ने तहत अदालत में प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी पेश किया, जो दिनांक 13.12.2019 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री में शामिल खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 141 रकबा 43 एयर वाके ग्राम शाहबाद को भी पढे जाने का आदेश दिया। इस प्रकार आदेश दिनांक 13.12.2019 से अपील अन्दर मियाद है। जानकारी के अभाव में हुई देरी क्षम्य योग्य है। विद्वान वकील अपीलांट ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आगे तर्क दिये कि तहत अदालत ने अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है। प्राथमिक डिक्री पारित होने के बाद हमको जानकारी होने पर हमने रिव्यू प्रा0 पत्र पेश किया। इसी दौरान वादी ने आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे दिनांक 13.12.2019 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री में अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 143 को भी पढे जाने का आदेश पारित कर दिया। इस संबंध में निवेदन है कि प्राथमिक डिक्री पारित होने के बाद आदेश 6 नियम 17 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। यह कि विवादित भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पूर्व में ही आपसी सहमति से बटवारा हो चुका था, जो समझौतानामा दिनांक 23.05.2017 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर तहरीर किया गया था। इसके अनुसार खसरा नम्बर 115, 138, 140, 141 वाके ग्राम शाहबाद अपीलांट के हिस्से में आये तथा खसरा नम्बर 73, 134, 135, 136, 137, 129, 130, 131 असल रेस्पो0 संख्या 01 के हिस्से में आये। उक्त दस्तावेज अपीलांट ने अपने जवाब दावा के साथ तहत अदालत में पेश किया, परन्तु जवाब दावा को रेकार्ड पर नहीं लिया गया। ना तो संशोधित वाद पेश हुआ और ना ही संशोधित शीर्षक पेश हुआ। जब पूर्व में ही आपसी सहमति से बटवारा हो चुका था तो फिर पुनः बटवारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 01 का कथन है कि सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। सहमति के आधार पर पारित की गई डिक्री की अपील नहीं की जा सकती। तहत अदालत ने प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये है। अभी कुर्रे रिपोर्ट नहीं आई है। कुर्रे रिपोर्ट आने के बाद उस पर आपत्ति पेश होनी है। आपत्ति पेश किये बिना प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की जा सकती, जैसा कि 2017 ए0 आई0 आर0 में अभिनिर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिये कि यह अपील मियाद बाहर है। एक– एक दिन की देरी का कारण बताना होता है। इन्होंने सन्तोषजनक कारण नहीं बताये है। अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावे।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना हैं कि हमने प्राथमिक डिक्री पारित कराने में कोई सहमति नहीं दी थी।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये। अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा मियाद बिन्दू पर वकील अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुए नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है।

7. इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया। प्रस्तुत अपील तहत अदालत द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के खिलाफ है। तहत अदालत द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर कुर्रे कायमी

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अभी तहत अदालत को तहसीलदार से कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तहत अदालत द्वारा पक्षकारों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी है। अपीलांट की जो भी आपत्तियां है, तहत अदालत में पेश करें। इस स्टेज पर अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अपील में तात्विक सारवान प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.05.2019 यथावत रखे जाते हैं।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

18/08/2021

(अशोक कुमार सोखला)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 21/2020 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. सत्यवीर पुत्र श्री शीशराम जाति अहीर निवासी हिंगवाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0

––– अपीलान्ट

(बनाम)

1. राजबीर पुत्र शीशराम उम्र करिब 52 साल जाति अहीर निवासी हाल हिंगवाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ––– रेस्पोडेन्ट
2. भवानी पुत्र नरसिंग जाति अहीर निवासी ग्राम थडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
3. सुखपाल पुत्र ज्ञानसिंह
4. सूरत देव पुत्र ज्ञानसिंह
5. बलजीतकौर पुत्री ज्ञानसिंह
6. हरदीप सिंह पुत्र सुनीता कौर
7. सन्दीपसिंह पुत्र सुनीता कौर जाति रायसिक्ख निवासीयान शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
8. रोताश पुत्र रामदेव जाति अहीर निवासी ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
9. रामरती पत्नि राजबीर जाति अहीर
10. बख्तावर सिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति रायसिक्ख निवासीयान शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
11. हजूरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मुरलीवाली तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
12. मोनू पुत्र बलवन्त
13. सतीश पुत्र बलवन्त जाति अहीर निवासीयान ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
14. राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील तिजारा जिला अलवर राज0

–––तरतीबी रेस्पोडेन्टान

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी तिजारा
दिनांक–08.05.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश कुमार यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 01 :– श्री कैलाश कुमार निमोरिया

पर्चा डिक्री **दिनांक– 18.08.2021**

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.05.2019 यथावत रखे जाते हैं।

18.08.2021

(अशोक कुमार सांखला)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर